(108)

(10)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आर.के.मिश्रा,**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1031-II/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 14-06-2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 469/अपील/2006-07.

---

1. भागवत प्रसाद पुत्र बाबूलाल जायसवाल
2. परमेश्वरदीन पुत्र शारदा जायसवाल
3. हरिनाम जायसवाल पुत्र परेश्वरदीन जायसवाल
4. मिठाई लाल जायसवाल पुत्र शारदा जायसवाल
5. भैया लाल जायसवाल पुत्र शारदा
6. संतोष कुमार पुत्र लल्लू जायसवाल

निवासीगण ग्राम लौवा उर्फ लक्ष्मणपुर, तहसील हुजूर जिला रीवा म.प्र.

..... आवेदकगण

बनाम

1. लक्ष्मी सिंह पत्नी सुरेन्द्र सिंह मु.आ.श्री रण बहादुर सिंह
   पुत्र श्री सज्जन सिंह
   निवासी ग्राम लौवा उर्फ लक्ष्मणपुर तहसील हुजूर जिला रीवा म.प्र.
2. लाल सज्जन सिंह पुत्र रमागोविन्द सिंह
   निवासी मोहल्ला सिविल लाइन गोविन्द निवास रीवा
   तहसील हुजूर जिला रीवा म.प्र.

.....अनावेदकगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव अधिवक्ता, आवेदक

श्री डी.एस. चौहान, अधिवक्ता, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 23/1/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित दिनांक 14-06-2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य यह है कि तहसीलदार हुजूर के द्वारा दिनांक 08-06-99 को आवेदकगणों के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 24-01-2007 से अनावेदक की अपील स्वीकार की तथा तहसीलदार का आदेश निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 14-06-2007 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदकगण की ओर से तहसील न्यायालय में अवेदन प्रस्तुत किये जाने पर अनावेदक को विधिवत सूचना तामील नहीं हुई और अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर अंतिम आदेश पारित किया गया। अनावेदक लक्ष्मी सिंह प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी हैं। तामील पर उनके हस्ताक्षर नहीं है। प्रकरण में जो अपंजीकृत दस्तावेज पेश किया गया है उसपर किसी गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार हुजूर द्वारा संहिता की धारा 109/110 में निहित प्रावधानों का पालन किये बिना ही नामांतरण आदेश पारित करने में त्रुटि की है। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार का आदेश निरस्त किया है। अनुविभागीय अधिकारी के विधिसम्मत आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने भी अपने आदेश से की है। अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 14-6-2006 स्थिर रखा जाता है।

23/1/2019

(आर.के.मिश्रा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर